भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3826
(12 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

आईजीएनडब्ल्यूपीएस के अंतर्गत लाभार्थी

3826. श्री बस्तीपति नागराजू:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस) के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों की कुल संख्या के संबंध में कोई आंकड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि तक आंध्र प्रदेश सहित राज्यवार और जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत कुल कितनी राशि वितरित की गई है और तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की कुल संख्या राज्यवार कितनी है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क), (ख) और (घ) वर्तमान में, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों की योजना-वार अधिकतम सीमा के अनुसार देश भर में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस) के अंतर्गत कुल 6735826 लाभार्थी शामिल हैं। इसके अलावा, एनएसएपी के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लाभार्थियों का एक डेटाबेस बनाए रखना होता है और उसे सार्वजनिक डोमेन में अपलोड करना आवश्यक है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि डिजिटाइज्ड लाभार्थियों की संख्या या उनकी निर्धारित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अधिकतम सीमा, जो भी कम हो, के आधार पर वितरित की जाती है। एनएसएपी दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ग्राम/ब्लॉक/वार्ड/ज़िला स्तर पर लाभार्थियों को लाभ के आगे वितरण के लिए ज़िम्मेदार हैं। आंध्र प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार पात्र विधवा पेंशनभोगियों (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अधिकतम सीमा) की संख्या **अनुबंध-I** में दी गई है।

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान आईजीएनडब्ल्यूपीएस के अंतर्गत जारी की गई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निधि का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 12.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 3826 के भाग (क), (ख) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

अनुबंध-I

आईजीएनडब्ल्यूपीएस के तहत लाभार्थियों की राज्य-संघ राज्य क्षेत्रवार अधिकतम सीमा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अधिकतम सीमा
1	आंध्र प्रदेश	246832
2	बिहार	635091
3	छत्तीसगढ़	203628
4	गोवा	5886
5	गुजरात	276078
6	हरियाणा	70808
7	हिमाचल प्रदेश	21974
8	झारखंड	266077
9	कर्नाटक	452027
10	केरल	320715
11	मध्य प्रदेश	546920
12	महाराष्ट्र	80725
13	ओडिशा	525045
14	पंजाब	19294
15	राजस्थान	315048
16	तमिलनाडु	574258
17	तेलंगाना	180720
18	उत्तर प्रदेश	1025236
19	उत्तराखंड	23898
20	पश्चिम बंगाल	726172
पूर्वोत्तर राज्य		
21	अरुणाचल प्रदेश	288
22	असम	119955
23	मणिपुर	7075
24	मेघालय	8024
25	मिजोरम	2278
26	नागालैंड	3827
27	सिक्किम	1469
28	त्रिपुरा	17537
संघ राज्य क्षेत्र		

29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3
30	चंडीगढ़	2486
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	2109
32	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	36361
33	जम्मू और कश्मीर	7631
34	लद्दाख	443
35	लक्षद्वीप	87
36	पुदुचेरी	9821
	कुल	**6735826**

लोक सभा में दिनांक 12.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 3826 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

अनुबंध II

पिछले पांच वर्षों के दौरान आईजीएनडब्ल्यूपीएस के अंतर्गत जारी निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी की गई निधि (रुपये करोड़ में)				
		2020-21	2021-22	2022-23	2023 -24	2024 -25
1	आंध्र प्रदेश	91.07	68.3	91.07	114.2931	93.734
2	बिहार	203.12	233.45	235.34	235.4918	238.8793
3	छत्तीसगढ़	45.23	70.56	73.06	75.0292	94.6855
4	गोवा	0	0	0	0	0
5	गुजरात	78.81	40.49	0	0	0
6	हरियाणा	7.98	0	43.77	0	0
7	हिमाचल प्रदेश	6.67	1.67	5	14.259	0
8	जम्मू और कश्मीर	1.24	2.02	1.41	4.8739	2.2077
9	झारखंड	75.53	120.56	99.18	72.9831	78.948
10	कर्नाटक	170.6	167.61	159.46	133.8651	41.9029
11	केरल	96.98	0	0	204.2958	52.6031
12	मध्य प्रदेश	190.35	149.18	244.79	202.798	214.885
13	महाराष्ट्र	15.58	19.65	13.5	0	50.712
14	ओडिशा	206.12	188.37	195.99	193.2872	180.4285
15	पंजाब	5.77	1.71	0	3.5771	3.4533
16	राजस्थान	66.87	25.84	162.35	86.6884	195.457
17	तमिलनाडु	96.35	218.02	236.23	214.9556	197.3666
18	तेलंगाना	97.63	32.54	65.09	49.2959	0
19	उत्तर प्रदेश	135.6	180.11	190.08	0	341.5501
20	उत्तराखंड	11.51	2.4	11.64	8.8614	11.178
21	पश्चिम बंगाल	217.49	179.26	203.9	340.9406	271.2214
22	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0.5057	0
23	असम	42.6	41.61	42.18	42.606	42.7796
24	मणिपुर	3.08	0.51	2.71	1.7803	2.6254
25	मेघालय	3.15	1.47	2.74	2.8906	2.9597
26	मिज़ोरम	0.71	0.36	0.76	0.8296	1.0714
27	नागालैंड	1.38	0.69	1.72	0.6995	2.1333
28	सिक्किम	0.81	0	0.68	0	0
29	त्रिपुरा	2.69	3.71	4.21	4.9925	9.3437

30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.27	0	0	0	0
31	चंडीगढ़	0	0	0	0	0
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	0	0	0	0
33	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	2.85	17.28	0	0	19.4961
34	लद्दाख	0.09	0	0.15	0	0.411
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
36	पुदुचेरी	3.16	1.81	0	0	0
	कुल	**1881.28**	**1769.19**	**2087.00**	**2009.80**	**2150.03**

*****